



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1947 (श10)
(सं0 पटना 1456) पटना, बुधवार, 3 सितम्बर 2025

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना
4 अगस्त 2025

सं0 वि.प.स्था.-186/2023(जी.वि.)-2443 (2)/वि.प.—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत मूल कोटि की वरीयता के आधार पर बिहार विधान परिषद् सचिवालय के निम्नलिखित अवर सचिव को उप सचिव का, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर- 12) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है।

1. श्री राजेश कुमार चौधरी
2. श्रीमती कुमकुम सिंह

भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर प्रदत्त प्रभार आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई अन्तर की राशि की भी वसूली कर ली जाएगी।

यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या- 19300, दिनांक- 13.10.2023 एवं ज्ञापांक- 636, दिनांक- 10.01.2024 में निहित शर्तों के अधीन है।

उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक उप सचिव के पद (विहित वेतनमान वेतन स्तर-12) में उत्क्रमित किया जाता है।

उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से उप सचिव के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से,
नवीन कुमार मिश्र,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1456-571+10-डी0टी0पी0
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>